रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 1993/अग्रहायण 4, 1915
No. 696] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 1993/AGRAHAYANA 4, 1915

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1993

का. आ. 893(अ) —भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी पोतों द्वारा मात्स्यिकी का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) की दिनांक 10 मई, 1982 की सा आ स 314 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व हटाये गये अथवा हटाये जाने वाले विषयों को छोड़कर,

केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य से ओखा, मुम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता और पोरबन्दर बन्दरगाहों को "विनिर्दिष्ट बन्दरगाह" विनिर्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 29012/19/82-एफ.वाई. (एफ.पी.आई.) पार्ट]

प्रमिला ईसर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1993

S.O. 893(E).—In exercise of the Powers conferred by clause (m) of Section 2 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) No. S.O. 314(E), dated the 10th May, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the ports of Okha, Bombay, Cochin, Madras, Visakhapatnam, Port Blair, Calcutta and Porbandar as "specified ports" for the purposes of the said Act.

[F. No. 29012|19|82-Fy. (FPI) Pt.]

PROMILLA ISSAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993